अपील सूचना अधिकार संख्या 91/2018 (RCMS 2018/00211) श्री सुशील कुमार पुत्र रूलीचन्द चमार जाति मेघवाल निवासी वार्ड नं. 01, 7 एम.एस.आर., सरदारगढ़िया तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (मोबाईल नं. 7597145786) बनाम उपखण्ड अधिकारी, घड़साना

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

31.10.2019

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री सुशील कुमार स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि उसने लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, घड़साना के समक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके 04 बिन्दुओं की सूचना चाही थी। लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे निश्चित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं करवाई है। इसलिए उसे लोक अधिकारी से वांछित बिन्दुवार निःशुल्क सूचनाएं उपलब्ध करवाई जावे एवं लोक सूचना अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 05.06.2018 से लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, घड़साना के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही थीः

1. ग्राम का नाम 3 पी एम, पटवार हल्का 2 पी एम कृषि भूमि काश्तकार का नाम की खाता संख्या नया 66, खाता संख्या पुराना 1.2 की फाईल की कॉपी उपलब्ध करवाने बाबत।
2. ग्राम का नाम 3 पी एम तहसील घड़साना सम्वत् 2070–2073 में कृषि भूमि धारक का नाम की फाईल मु.नं. 62, प.न. 187/2 की प्रति कॉपी उपलब्ध करवाने बाबत।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

3. नोट संख्या 1 वि.दि. 20.12.2017 ई.नं. 206 बैयनामा स्वीकृति दिनांक 20.12 के द्वारा प.नं. 187/02 कि.नं. 1 ता 13, 18 ता 25/5.313 है., उसकी प्रमाणित प्रति कॉपी उपलब्ध करवाने बाबत।

4. नाम सं. 334 नि.दिन. 05.01.2018 बेचान द्वारा के प.न. 187/2 कि. नं. 1 ता 13, 18 ता 25/5.313 है. कमाण्ड सा. 2 पी एम खातेदारी स्वीकृत हुअ उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि कॉपी उपलब्ध करवाने बाबत।

उक्त अपील पत्र के संदर्भ में उपखण्ड अधिकारी, घड़साना ने निम्नानुसर जवाब दिया है :

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि प्रार्थी सुशील कुमार द्वारा सूचना के अधिकार के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही गई थी। प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय से सम्बन्धित नहीं होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सम्बन्धित कार्यालय तहसीलदार, घड़साना को इस कार्यालय के पत्रांक 2064 दिनांक 21.06.2018 द्वारा प्रेषित किया जाकर प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक 2065 दिनांक 21.06.2018 द्वारा सूचित कर दिया गया था। पत्र की फोटोप्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है।

अतः निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय द्वारा देने में कोई लापरवाही नहीं बरती गई है। प्रार्थी की अपील इसी स्तर पर खारिज फरमाने की कृपा करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

—sd—
उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त अपील पत्र के संदर्भ में तहसीलदार, घड़साना ने निम्नानुसार जवाब दिया है :

> उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उक्त अपील के संबंध में निवेदन है कि श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी, घड़साना का पत्रांक 2064 दिनांक 21.06.2018 इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ। अपील के साथ संलग्न मांगी गई सूचना की प्रतिलिपि अनुसार अपीलार्थी को सूचना तैयार कर शीघ्र की प्रेषित कर दी जावेगी। अतः अपील खारिज कर दफ्तर दाखिल करने की कृपा करें।
>
> —sd—
>
> तहसीलदार (राजस्व)
>
> घड़साना

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाएं लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), घड़साना से सम्बन्धित है और उनके उक्तानुसार प्रतिवेदन के अनुसार उन्हें अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ है इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है एवं अपीलार्थी सूचना का अधिकार 2005 के तहत तहसीलदार (राजस्व), घड़साना के समक्ष पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सूचनाएं प्राप्त करने के लिए स्वतन्त्र है।

चूंकि अपीलार्थी ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, घड़साना के विरूद्ध पेश की है और उनके द्वारा पहले ही प्रार्थना पत्र तहसीलदार, घडसाना को भेजा जा चुका है। ऐसी अवस्था में उपखण्ड, घडसाना के विरूद्ध प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है तथा प्रार्थी तहसीलदार (राजस्व), घड़साना के समक्ष कार्यवाही करने के स्वतन्त्र आदेश की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), घड़साना को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 31.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर